

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
वृत्त- इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष

161

R - 2281-PBR114

राजस्व काया दस्तावेज
के अन्तर्गत

1. बालीबाई पिता पुनिया बलाई
 2. सीताराम पिता लक्ष्मण बलाई
- निवासी : ग्राम लोहारी, तह. कुक्षी, जिला धार

--- पुनरीक्षणकर्तागण

विरुद्ध

1. रमेश पिता हीरालाल बलाई
2. परशुराम पिता हीरालाल बलाई
3. बाबुलाल पिता हीरालाल बलाई
4. लक्ष्मण पिता हीरालाल बलाई
5. मंगीबाई पिता मूल्या बलाई
6. गुलाब पिता करसन बलाई
7. हीरालाल पिता बागा बलाई

श्री. परशुराम गिरीश
प्रार्थी/अभिभावक द्वारा दिनांक 07/07/14
को प्रस्तुत

426/08-07-2014

श्री. बलीबाई

निवासी : ग्राम लोहारी, तह. कुक्षी, जिला धार --- प्रतिप्रार्थीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व
संहिता, 1959 के अंतर्गत




श्रीमान तहसीलदार महोदय, कुक्षी के न्यायालय द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक

03/अ-27/10-11 में पारित आदेश दिनांक 07-01-2013 से असंतुष्ट होकर प्रतिप्रार्थीगण द्वारा एक अपील न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महोदय, कुक्षी के समक्ष प्रस्तुत की गई जो राजस्व अपील क्रमांक /09/12-13 अपील पर दर्ज होकर उक्त अपील के आदेश दिनांक 30-05-2013 से असंतुष्ट होकर पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा द्वितीय अपील माननीय अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिनके द्वारा आदेश दिनांक 08-05-2014 से निरस्त की गई, जिससे असंतुष्ट होकर यह पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष नियत अवधि एवं न्यायशुल्क पर निम्नलिखित कारणों से प्रस्तुत है :-

1/12/14

एन सी आई / सी डी

R-2281 - PBR/14 चार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-4-2019	<p>आवेदक पक्ष सूचना उपरोक्त अनुपाधिक। आवेदक पक्ष को कोर्ट से श्री वैभव गुप्ता आधिकारिता उपान्वित। आवेदक पक्ष को तीनवार पुकार लगावाई गई परन्तु आवेदक को कोर्ट से कोई उपान्वित नहीं हुआ। प्रकरण आवेदक पक्ष को अनुपाधिक में अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p> A. S. R.</p> <p> A. S. R.</p>	<p> 15/4/19 वैभव गुप्ता</p>